26.11.2019	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप.। स्थगन प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पर पूर्व में बहस सुनी गई। बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन

Scanned by CamScanner

करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पहुंचा कि अपीलांट का मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलांट का वादग्रस्त आराजी में हिस्सा है या नहीं इस का निर्धारण वाद के निस्तारण पर ही संभव है। रेस्पोडेंट वादग्रस्त आराजी का सद्भावी क्रेता एवं रिकॉर्डेड खातेदार है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध इंजेक्शन जारी करना न्यायसंगत नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। रेस्पोडेंट संख्या 03 वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार होने से उसके हक हिस्से की भूमि का बेचान करने का अधिकार रखता है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत अपील की स्थिति में लागू नहीं होते है मूल दावे से संबंधित है जो परीक्षण न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आलोक में प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलांट की अपील इसी स्टेज पर खारिज की जाती है तथा साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वाद की प्रक्रियागत कार्यवाही को अपनाते हुए मूल वाद का निस्तारण 03 माह में करें। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

26/11/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधि... बाड़मेर

Scanned by CamScanner